

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


आवश्यक सूचना

HFA, SBM एवं AMRUT योजना के अधीन भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधान के अंतर्गत संविदा आधारित CLTC/SMMU/CMMU के नियोजन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन (Counselling) विभागीय जाँच दल द्वारा माह अगस्त, 2016 में किया गया है।

प्रथम चरण में सत्यापन के बाद द्वितीय चरण में सभी विन्दुओं पर समीक्षा हेतु वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मूल्यांकन कमिटी का गठन किया गया है। समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप विज्ञापन में उल्लेखित प्रमाण पत्र (Either TDS Certificate or Form-16 issued by previous Organisation or Bank Statement in which Salary was Transferred) उपलब्ध नहीं कराया गया है।


अतः सम्यक् विचारोपरांत सत्यापन (Counselling) में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लेखित अनुभव प्रमाण-पत्र के समर्थन में वर्णित वेतन प्राप्ति का साक्ष्य जमा करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। सत्यापन दल के समक्ष उपस्थित सभी अभ्यर्थी यदि सत्यापन दल को समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में वेतन प्राप्ति की साक्ष्य की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करा पाये हों तो वे विज्ञापन में उल्लेखित प्रमाण-पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति (Either TDS Certificate or Form-16 issued by previous Organisation or Bank Statement in which Salary was Transferred) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के प्राप्ति शाखा में दिनांक-05.10.16 तक स्व अग्रसारण पत्र के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। भुगतान संबंधी साक्ष्य, निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद का ही मान्य होगा, साथ ही भुगतान का साक्ष्य जितनी अवधि का उपलब्ध कराया जायेगा उसी अवधि का अनुभव मान्य होगा।


अग्रसारण पत्र में आवेदक का नाम, योजना का नाम, (यथा HFA, SBM एवं AMRUT), आवेदित पद एवं आई0डी0 नं0, प्रमाण पत्र के सत्यापन की तिथि एवं बोर्ड नं0 का उल्लेख करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर पूर्व में उपलब्ध कराए गये प्रमाण पत्र के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। यह अवसर केवल सत्यापन दल के समक्ष उपस्थित अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा।


24/9/2016

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।




24/9/16